यह निरीक्षण प्रतिवेदन, अधिशासी अभियंता सिचाई खंड, काशीपुर द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अधिशासी अभियंता सिचाई खंड, काशीपुर के माह 11/2017 से 10/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री रामवीर सिंह सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री मनोज कुमार सिंह, पर्यवेक्षक, श्री पंकज कुमार वरिष्ठ लेखापरीक्षक, द्वारा दिनांक 26/11/2018 से 05/12/2018 तक श्री एस के त्यागी वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री पी के श्रीवासत्व साहयक लेखापरीक्षा अधिकारी व सुनील कुमार स ले प अ द्वारा दिनांक 16/11/2017 से 30/11/17 तक श्री जगमोहन सिंह रावत वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 10/2016 से 10/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 11/2017 से 10/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।
2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः सिचाई विभाग का कार्य यह की निर्माण कार्य/मरम्मत के रूप मे मुख्यतय नहरों, गुलों, से संबन्धित कार्य सम्पन्न कराना तथा अधिकार क्षेत्र वर्तमान में, विधान सभा क्षेत्र, जसपुर, काशीपुर ,एवं बाजपुर।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः (रु लाख मे)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		शासन को समर्पित राशि / अवशेष	
	स्थापना `	गैर स्थापना `	आवंटन `	व्यय `	आवंटन `	व्यय `	स्थापना (समर्पित)	गैर स्थापना (अवशेष)
2015-2016	-	-	560.50	544.61	8348.71	8348.71	15.43	-
2016-2017	-	-	610.89	554.56	5703.60	5703.60	55.52	-
2017-2018	-	-	638.57	634.68	3137.91	3132.00	38.88	5.91
2018-19 (up to date)	-	-	765.62	450.94	1738.18	1453.00	-	-

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः (धनराशि रु लाख मे)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
2015-16	AIBP CSSR	-	706.00 300.00	706.00 300.00	- -
2016-17	CSSR	-	95.55	95.55	-
2017-18	CSSR	-	94.00	94.00	-
2018-19		-	-	-	
		-			

(iii) गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई का आवंटन स्रोत , राज्य सरकार है ।

(iv) इकाई की श्रेणी “A” है।

(v) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

(1) सचिव, सिचाई विभाग उत्तराखण्ड शासन ।

तकनीकी संवर्ग मे:

(2) प्रमुख अभियंता (विभागाध्यक्ष) (3) मुख्य अभियंता, गढवाल क्षेत्र स्तर -2, मुख्य अभियंता, कुमाऊँ हल्द्वानी, मुख्य अभियंता प्रशिक्षण संस्थान कालागढ़, मुख्य

अभियंता परियोजना गढवाल यमुना कालोनी देहरादून, मुख्य अभियंता परिकल्प रुड़की , मुख्य अभियंता यांत्रिक देहरादून, अधीक्षण अभियंता, नलकूप मण्डल देहरादून ।

(4) अधीक्षण अभियंता, सिचाई कार्य मण्डल रुद्रप्रयाग (5) अधिशासी अभियंता (6) सहायक अभियंता

(7) कनिष्क अभियंता

गैर तकनीकी संवर्ग मे :

(1) वित्त नियंत्रक , (2) खंडीय लेखाकार (3) सहायक लेखाधिकारी (4) प्रशासनिक अधिकारी (5) लेखाकार (6)प्रधान सहायक ,(7) वरिष्ठ सहायक ,(8) कनिष्क सहायक।

(vi) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में अधिशासी अभियंता सिचाई खंड, काशीपुर को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन अधिशासी अभियंता सिचाई खंड, काशीपुर, की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 3/2018 एव 6/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(vii) (जिस योजना का चयन किया गया उसका नाम अंकित किया जाय) का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन ..... "व्यय के आधार पर"..... (प्रतिचयन विधि का नाम अंकित किया जाय) के आधार पर किया गया।

(viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा .....13....., लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

3. अधीक्षण अभियंता द्वारा विगत लेखापरीक्षा से अब तक की अवधि में दिनांक .. .. से ... तक..... शून्य निरीक्षण किया गया।
4. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी क्रमशः माह 3/2018 तथा 09/2017 तक की गई। (पंजिका अपूर्ण थी)
5. फार्म 51: माह 10/2018 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत हैः- (धनराशि रु मे)।

भाग प्रथम ` 916011.52

भाग द्वितीय ` 1869688.52

खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह 10/2018 के अन्त में (धनराशि रु मे)

(क) प्रकीर्ण निर्माण अग्रिम शून्य

(ख) सामग्री क्रय ` 556721.00

(ग) नगद परिशोधन शून्य

(घ) निक्षेप ` 5707807.20

(ङ) भण्डार ` 586024.00

भाग 2 'अ'

प्रस्तर 1– महुआखेड़ा गंज एवं मुण्डिया कला में निरीक्षण भवनों के निर्माण पर संस्तुत लागत से धनराशि रू0 473.26 लाख का अधिक व्यय एवं अतिरिक्त दायित्वों का सृजन

वित्तीय नियमों (वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड का पैराग्राफ 315 से 321) में प्रावधान है कि प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति उपरान्त ही योजना का निर्माण प्रारम्भ किया जाना चाहिए एव स्वीकृत राशि से अधिक व्यय कदापि नहीं किया जाना चाहिए। सम्बन्धित कार्यालय ज्ञाप में भी इस बात का स्पष्ट उल्लेख था कि कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाये जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाये।

सिचांई खण्ड, काशीपुर के अभिलेखों की जॉच में ज्ञात हुआ कि शासनादेश संख्या 3060 (1)/11–2014–03(14)/2013 दि0 फरवरी, 2014 एवं शासनादेश सं0 17 (1)/11–2014–03(19)/2014 दि0 नवम्बर, 2014 द्वारा जनपद ऊद्यमसिंह नगर के बाजपुर विधान सभा क्षेत्र में राज्य सेक्टर के अन्तर्गत महुआखेड़ा गंज एवं मुण्डिया कला में निरीक्षण भवनों के निर्माण की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति क्रमशः संस्तुत लागत रू0 119.91 लाख (रू0 118.09 लाख सिविल कार्यो एवं रू0 1.82 लाख अधिप्राप्ति नियमावली के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यो) एवं रू0 214.56 लाख (रू0 206.50 लाख सिविल कार्यो + रू0 8.06 लाख अधिप्राप्ति नियमावली कराये जाने वाले कार्यो) हेतु प्रदान की यी थी। उक्त कार्यो की तकनीकी स्वीकृति समान लागत हेतु क्रमशः दिनांक 6 मार्च 2014 एवं दिनांक 7 जनवरी 2015 को अधीक्षण अभियन्ता, सिचांई कार्य मण्डल, ऊद्यमसिंह नगर द्वारा प्रदान की गयी थी। जॉच में आगे प्रकाश में आया कि महुआ खेड़ा गंज निरीक्षण भवन के निर्माण हेतु खण्ड द्वारा स्वीकृत धनराशि रू0 119.91 लाख के सापेक्ष विभिन्न स्तर से कुल 44 अनुबन्ध (09 अनुबन्ध अधिशासी अभियन्ता एवं 35 अनुबन्ध सहायक अभियन्ता स्तर) किये गये थे जिनकी अनुबन्धित राशि रू0 342.11 लाख (सूची–1 संलग्न) थी। अनुबन्धित राशि के सापेक्ष रू0 373.57 लाख के कार्य निरीक्षण भवन में कराये गये थे तथा बिलों के सापेक्ष रू0 211.95 लाख का भुगतान अक्टूबर 2018 तक खण्ड द्वारा किया गया था। मुण्डिया कला निरीक्षण भवन के निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि रू0 214.56 लाख के सापेक्ष खण्ड द्वारा कुल 17 अनुबन्ध (10 अनुबन्ध

अधिशासी अभियन्ता एवं 7 अनुबन्ध सहायक अभियन्ता स्तर से) गठित किये गये थे जिनकी अनुबन्धित राशि रू0 469.14 लाख (सूची–2 संलग्न) थी। खण्ड द्वारा अनुबन्धित राशि के सापेक्ष रू0 434.66 लाख के कार्य सम्पादित कराये गये थे एवं बिलों के सापेक्ष अक्टूबर 2018 तक रू0 180.46 लाख का भुगतान विभिन्न संविदाकारो को किया गया था।

इस प्रकार, उक्त दोनों निरीक्षण भवनों के निर्माण पर खण्ड द्वारा स्वीकृत लागत से रू0 473.26 लाख रू0 (373.57+434.66–119.91–214.19 लाख) **के कार्य कराये गए थे एवं रुपए 392.41 के भुगतान के उपरांत रुपए 415.82 लाख के भुगतान** दायित्व के रूप में शासन पर भारित थे।

उक्त के सम्बन्ध में इंगित किये जाने पर खण्ड द्वारा अवगत कराया गया कि प्रकरण पूर्व से ही उच्चाधिकारियों के संज्ञान में है। इस सम्बन्ध में उच्चाधिकारी एवं शासन स्तर से कार्यवाही गतिमान है।

अतः आपत्ति के समाधान की प्रत्याशा में प्रकरण शासन को संदर्भित है।

भाग 2 'ब'

प्रस्तर 1– धनराशि रू0 19.97 करोड़ के दायित्वों का सृजन

वित्तीय नियमों में प्रावधान है कि किसी भी योजना/कार्य पर स्वीकृत/ आवंटित धनराशि के अन्तर्गत ही व्यय किया जाना चाहिए। यदि परिस्थितिवश योजना/कार्य पर स्वीकृत राशि से अधिक व्यय की संभावना हो तो कार्यान्वयन के पूर्व भिन्नता/पुनरीक्षित प्राक्कलन, जैसी स्थिति हो, पर सक्षम अधिकारी/शासन की स्वीकृति प्राप्त की जानी चाहिए।

सिचांई खण्ड, काशीपुर के अभिलेखों की जॉच में ज्ञात हुआ कि खण्ड द्वारा विभिन्नयोजनाओं एवं अनुरक्षण मदों (वर्ष 2013–14 से वर्ष 2017–18 तक) के अन्तर्गत आंवटित धनराशि से अधिक का व्यय किया गया था जिसका योजनावार/अनुरक्षणमदवार विवरण निम्नवत् था–

(धनराशि रू0 लाख में)

क्रमांक	योजना/अनुरक्षण मद	स्वीकृत राशि	आंवटित राशि	व्यय राशि	अवशेष देनदारी जिनका भुगतान किया जाना है
1.	ए0आई0पी0पी0	1629.68	812.98	812.98	437.16
2.	4700/4711 नाबार्ड मद	11161.99	11161.99	11161.99	380.39
3.	4701 राज्य सेक्टर (निरीक्षण भवन)	334.47	334.47	334.47	415.81
4.	2701 अनुरक्षण मद (AR&SR) वर्ष 2013–18	567.85 प्रति वर्ष की सीमा	1020.56	1020.56	570.75
5.	2702 अनुरक्षण मद AR वर्ष 2013–18	43.32 प्रतिवर्ष की सीमा	70.84	70.82	177.06
6.	2711 अनुरक्षण मद वर्ष 2013–18	24.65 प्रतिवर्ष की सीमा	41.50	41.47	15.81
				योग	**1996.99**

स्पष्ट है कि अक्टूबर, 2018 तक खण्ड पर विभिन्न योजनाओं/ अनुरक्षणों मदों के अन्तर्गत धनराशि रू0 19.97 करोड़ के दायित्व लम्बित थे जिनमें से अधिकांश दायित्व स्वीकृत से अधिक व्यय के कारण शासन पर भारित थे।

इंगित किये जाने पर खण्ड द्वारा अवगत कराया गया कि प्रकरण पूर्व से ही उच्चाधिकारियों के संज्ञान में है। इस सम्बन्ध में उच्चाधिकारियों एवं शासन स्तर से कार्यवाही गतिमान है।

अतः आपत्ति के समाधान की प्रत्याशा में प्रकरण शासन को संदर्भित है।

भाग 2 'ब'

प्रस्तर 2 – नाबार्ड मद में विभन्न योजनान्तर्गत स्वीकृत आंवटन से राजस्व लेखे के अनुरक्षण मद में धनराशि रू0 4.90 करोड़ का व्ययावर्तन ।

वित्तीय नियमों (बजट मैन्यूअल उत्तराखण्ड, 2012 का पैराग्राफ 134) के प्रावधानानुसार, किसी योजना/मद के अन्तर्गत स्वीकृत राशि का उपभोग अन्य योजना/मद में अनुमन्य नहीं है।

सिचांई खण्ड, काशीपुर के अभिलेखों की जॉच के दौरान संज्ञान में आया कि नाबार्ड मद में विभिन्न योजनान्तर्गत आवंटित राशि से अद्योलिखित राशि राजस्व लेखे के अनुरक्षण मद में व्यय की गयी थी–

क्रमांक	कार्य/योजना का नाम	वित्तीय वर्ष	योजनान्तर्गत प्राप्त आंवटन (रू0 लाख में)	अनुरक्षण मद में गठित अनुबन्धों के विरूद्ध भुगतान की गयी राशि (रू0 लाख में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	जसपुर विकासखण्ड में बुद्धनगर माईनर की लाईनिंग का कार्य	2012–13	195.63	9.98
2.	काशीपुर विकासखण्ड में 01 संख्या नहर की लाईनिंग का कार्य	तदैव	254.97	11.19
3.	काशीपुर विकासखण्ड में 03 सं0 नहर की लाईनिंग का कार्य	तदैव	226.09	33.38
4.	काशीपुर/रामनगर विकास खण्ड में जल टलावित योजना का नाम	तदैव	88.37	2.19
5.	4700 नाबार्ड योजना के अन्तर्गत जसपुर विकास खण्ड में 4 संख्या नहरों की आधुनिकीकरण, सुद्वढ़ीकरण एवं पुनरोद्वार की योजना	2016–17	300.00	8.37
6.	4700 नाबार्ड योजना के अन्तर्गत	2016–17	450.00	42.94

	जसपुर विकासखण्ड में 24.100 किमी ऑफसूटो के निर्माण की योजना			
7.	4700 नाबार्ड योजना के अन्तर्गत काशीपुर विकासखण्ड की महादेव नहर के आधुनिकीकरण एवं पुनरोद्वार योजना	तदैव	500.00	8.10
8.	4700 नाबार्ड योजना के अन्तर्गत काशीपुर एवं बाजपुर विकासखण्ड में 06 सं0 नहरों एवं 01 संख्या नाले की लाईनिंग की योजना	2016–17	500.00	20.28
9.	4700 नाबार्ड योजनान्तर्गत बाजपुर विकासखण्ड में 04 सं0 नहरों एवं 04 सं0 नालों की लाईनिंग की योजना	तदैव	537.00	82.91
10.	4700 नाबार्ड योजना के अन्तर्गत काशीपुर विकासखण्ड में 05 सं0 नहरों की आधुनिकीकरण एवं पुनरोद्वार की योजना	तदैव	375.61	15.59
11.	4700 नाबार्ड योजना के अन्तर्गत जसपुर विकासखण्ड में तुमरिया प्रसार नहर की आधुनिकीकरण एवं पुरनोद्वार की योजना	तदैव	725.00	68.12
12.	4700 नाबार्ड योजना के अन्तर्गत बाजपुर विकासखण्ड की 55.60 किमी गूलों की निर्माण योजना	तदैव	750.00	107.18
13.	4700 बाढ़ नियत्रण परियोजना जनपद ऊद्यमसिंह नगर के बाजपुर विकासखण्ड की 07 संख्या नालों	तदैव	228.11	1.16

	पर सुरक्षा दीवार की निर्माण योजना			
14.	4711 बाढ़ नियंत्रण परियोजना–जनपद ऊद्यमसिंह नगर में महुआखेड़ा गंज के नचला नाले से जलागम क्षेत्र की जल निकासी हेतु नाले निर्माण की योजना	तदैव	215.46	3.21
15.	नाबार्ड योजना अन्तर्गत जसपुर विकास खण्ड में 04 सं0 नहरो की आधुनिकीकरण सुद्वढ़ीकरण एवं पुनरोद्वार की योजना	2017–18	38.09	0.17
16.	नाबार्ड योजना के अन्तर्गत जसपुर विकास खण्ड में 24.100 कि0मी0 ऑफूसटों की निर्माण की योजना	तदैव	24.26	2.62
17.	नाबार्ड योजना के अन्तर्गत बाजपुर विकास खण्ड की 55–600 किमी नालों की निर्माण योजना	2017–18	100.69	8.82
18.	नाबार्ड योजनान्तर्गत जसपुर विकास खण्ड में तुमरिया जसार नहर की आधुनिकीकरण एवं पुरनोद्वार की योजना	तदैव	102.70	62.93
			योग	**490.14**

इस प्रकार, खण्ड द्वारा वर्ष 2013–13 से वर्ष 2017–18 तक धनराशि रू0 290.14 लाख का व्यय नाबार्ड मद में विभिन्न योजनान्तर्गत आवंटित राशि से अनुरक्षण मद में किया गया था।

इंगित किये जाने पर खण्ड द्वारा अवगत कराया गया कि प्रकरण पूर्ण से ही उच्चाधिकारियों के संज्ञान में है। इस सम्बन्ध में उच्चाधिकारियों एवं शासन स्तर **में कार्यवाही गतिमान** है।

अतः आपत्ति के समाधान की प्रत्याशा में प्रकरण शासन को संदर्भित है।

भाग दो ब

प्रस्तर सं0 3 रू0 4.10 करोड जी0एस0टी0 कर की धनराशि का संविदाकरों को अधिक भुगतान किया जाना।

शासन के पत्रांक संख्या 2137/111(2)/17–27(सामान्य)/2007 दिनांक 05 सितम्बर 2017 में दिनांक 1.7.2017 से जी0एस0टी0 लागू होने के उपरान्त देयकों के भुगतान/निविदा की प्रकिया सम्बन्धी दिशा–निर्देश मे case-1 में स्पष्ट किया गया है कि दिनांक 30.6.2017 तक दाखिल एम0बी0 के सम्बन्ध में कर दायित्व वैट प्रणाली के अनुसार होगा तथा इसके उपरान्त प्रस्तुत एम0बी0 के सम्बन्ध में कर के दायित्व का निर्धारण जी0एस0टी0 के प्राविधानों के अनुसार होगा। इसके अतिरिक्त यदि इन्वाईस प्रस्तुत किया जाता है, तो इस बिल की तिथि को संविदाकार की कर देयता होगी।

उत्तराखण्ड माल एवं सेवाकर अधिनियम 2017 की धारा 2 की उप धारा 119 में " work contract" means a contract for building construction,Fabrication,completion,errection,installation,fittingout,improvement,modification,repair maintence, renovation, alteration or commissing of any immovable property wherein transfer of property in goods(whether as goods or in same other form) is involved in the execution of such contract का कार्य करने वाले संविदाकारों को भी डीलर (व्यौहारी) माना गया है, इसलिये प्रत्येक डीलर जिसका कारोबार उत्तराखण्ड में रू0 10.00 लाख प्रतिवर्ष है, उसे माल एवं सेंवाकर अधिनियम की धारा 22 के अनुसार पंजीकृत/रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। तथा प्रत्येक पंजीकृत/रजिस्टर्ड ब्यौहारी को अधिनियिम की धारा 31 के अनुसार बिक्री किये गये माल एवं सेवा की टैक्स इन्वाइस निर्धारित प्रारूप में जारी करना अनिवार्य है।

Government of India/State
Department of ……..

Form GST INV – 1
(See Rule --------)
Application for Electronic Reference Number of an Invoice

1. GSTIN
2. Name
3. Address
4. Serial No. of Invoice
5. Date of Invoice

Details of Receiver (Billed to)
Name
Address
State
State Code
GSTIN/Unique ID

Details of Consignee (Shipped to)
Name
Address
State
State Code
GSTIN/Unique ID

Sr. No.	Description of Goods	HSN	Qty.	Unit	Rate (per item)	Total	Discount	Taxable value	CGST		SGST		IGST	
									Rate	Amt.	Rate	Amt.	Rate	Amt.
	Freight													
	Insurance													
	Packing and Forwarding Charges													
	Total													
	Total Invoice Value (In figure)													
	Total Invoice Value (In Words)													
	Amount of Tax subject to Reverse Charges													

तथा जारी (Tax Invoice) बिक्री के बिलों पर अलग से बिल की धनराशि के साथ साथ सी0जी0एस0टी0 एवं एस0जी0एस0टी0 कर की मॉग अलग से प्रदर्शित करनी होगी, तभी उनकों अलग से देय कर सी0जी0एस0टी0 एवं एस0जी0एस0टी0 धनराशि को भुगतान पर किया जा सकता था, अन्यथा अलग से कर का भुगतान नही किया जा सकता । अधिनियम की धारा 122(1) की उप धारा (i) के अनुसार यदि कोई पंजीकृत/रजिस्टर्ड ब्यौहारी किसी बीजक के जारी किए बिना, किसी माल या सेवा या दोनों की पूर्ति करता है, या ऐसा किसी पूति के लिये झूठा या गलत बीजक जारी करता है तो वह अपराध करता है। या धारा 122 (3) (ड) इस अधिनियम या तद्वीन नियमों के उपबन्धों के अनुसरण में बीजक को जारी करने में असफल रहता है, या अपनी लेखा पुस्तकों में बीजक के लिऐ कैफियत दने में असमर्थ रहता है, या धारा 132 (1) की उप धारा (क) इस अधिनियम या तद्वीन नियमों के उल्लंघन में किसी बीजक को जारी किए बिना ही किसी माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति कर अपवंचन के आशाय से करता है, तो ऐसी शस्ति के लिये दायी होगा जो पच्चीस हजार रूपये तक हो सकेगी।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता सिचाई खण्ड काशीपुर द्वारा लेखापरीक्षा को उपलब्ध करायी गयी जी0एस0टी0 भुगतान से सम्बन्धित सूचना में पाया गया कि संविदी विभाग के द्वारा माह 2/2018 से 7/2018(फरवरी रू0 5,97,10,936.00 एवं मार्च रू0 13,90,82,766.00, अप्रैल रू0 5,94,310.00 माह 5/2018 शून्य माह जून 2018 में रू0 13,12,35,560.00 एवं माह जौलाई 2018 रू0 1,05,98,467.00) अर्थात कुल रू0 34,12,22,039 . 00 तक का भुगतान संविदाकार से टैक्स इनवाइस प्राप्त किये बिना ही कार्य संविदा की धनराशि का भुगतान किया गया था, जिसमें (रू0 4,09,46,644.68 जी0एस0टी0 कर की धनराशि भी सम्मलित थी।) जबकि संविदी विभाग के द्वारा संविदकार को कार्य संविदा की धनराशि का भुगतान जी0एस0टी0 के प्रावधानों के अनुसार जारी टैक्स इन्वाइस पर ही किया जाना चाहिऐ था, जैसा कि शासनादेश संख्या 2137 दिनांक 5 सितम्बर 2017 एवं जी0एस0टी0 अधिनियम 2017 के प्रावद्यानों में उल्लिखित था, अर्थात बिना टैक्स इन्वाइस प्राप्त किये संविदा कार्य की देय संविदा धनराशि और 12 प्रतिशत कर की धनराशि का भुगतान संविदाकार को प्रावद्यानों के विरूद्व किया गया था । इसलिये खण्ड कार्यालय के द्वारा कार्य संविदा की बिना टैक्स इन्वाइस प्राप्त किये भुगतान की गयी धनराशि एवं 12 प्रतिशत कर भुगतान की धनराशि संविदाकार से माल एवं सेवाकर अधिनियमों 2017 एवं नियम के अनुसार वसूली योग्य है, जोकि वसूली सम्प्रेक्षा में लम्बित रहेगी। क्योकि उपरोक्त से स्पष्ट है, कि रजिस्टर्ड ब्यौहारी संविदाकर की मंशा ही कर अपवंचन करने की थी, इसलिये उसके द्वारा अधिनियमों का पालन सुनिश्चित किये बिना ही संविदी विभाग से भुगतान प्राप्त किया गया था। इसलिये उस पर धारा 122 अपराध एवं शास्ति के प्रावद्यान भी लागू होगे।

इस संबंध में खण्ड कार्यालय से पूछने पर अपने उत्तर में बताया गया कि भुगतान के सम्बन्ध में संविदाकरों द्वारा देयक, माप पुस्तिका एवं फारकती पर हस्ताक्षर किये जाते है, तथा संविदाकार के खाते में आनलाईन व्यवस्था से भुगतान किया जाता है।

विभागीय उत्तर मान्य नही है, क्योकि जी0एस0टी0 2017 के प्रावद्यानों के अनुसार संविदाकरों को किये गये कार्यो की टैक्स इन्वाइस प्राप्त करने के उपरान्त ही भुगतान के साथ कर की अतिरिक्त धनराशि का भुगतान किया जाना था, परन्तु खण्ड कार्यालय के द्वारा जी0एस0टी0 प्रावद्यानों उल्लघंन कर संविदाकरों को भुगतान एवं उसमें सम्मलित कर की धनराशि का भुगतान किया गया था। जो कि अनियमित था।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग- 2 (ब)

प्रस्तर - 4 रु 5,56,721.00 विविध अग्रिम वसूली हेतु लंबित राशि का प्रकरण एवं स्टॉक सामग्री का रु 5,86,024.00 का समायोजन नहीं किया जाना ।

(क) वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड 6 के नियम 578 के अनुसार विविध अग्रिम को निम्न चार श्रेणियों मे विभाजित किया गया है (1) उधार विक्रय (2) डिपॉजिट मद मे प्राप्त राशि से अधिक व्यय (3) हानि , त्रुटि के कारण हानि,आदि (4) अन्य मद मे ,किसी भी प्रकार से शासकीय हानि , इन सभी प्रकरणो मे अधिकारियों /कर्मचारियो /फर्मो/ठेकेदारो /अन्य विभागो के विरुद्ध विविध अग्रिम डाला जाता है एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड 6 के नियम 584 के अनुसार इन सभी मदो मे विविध अग्रिम की धनराशि की वास्तविक वसूली की जानी चाहिए या किसी कारण से वसूली न हो पाने की दशा मे सक्षम अधिकारी के आदेश से जब तक बट्टे खाते मे न डाला जाए तब तक विविध अग्रिम लेखे से न हटाया जाए।

कार्यालय के लेखा अभिलेखो की नमूना लेखापरीक्षा मे पाया गया कि निम्न विवरण मासिक लेखा माह 10/2018 के अनुसार अधिकारियों / कर्मचारियों के विरुद्ध विविध अग्रिम अन्य मद, फर्मों/ ठेकेदारों के विरुद्ध विविध अग्रिम की धनराशि रु 5,56,721.00 लम्बी अवधि से वसूली हेतु लंबित है इस संबंध मे समायोजन की कोई कार्यवाही नहीं की गयी है ।

इस संबंध मे लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर विभाग ने अपने उत्तर मे बताया कि - पत्राचार किया जा रहा है । उत्तर लेखापरीक्षा को मान्य नहीं है क्योकि वसूली लम्बी अवधि से नहीं की जा सकी है। अत: रु 5,56,721.00 लाख की वसूली लंबित रहने का प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है ।

(ख) वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड 6 के नियम 188 के अनुसार स्टॉक मे अवशेष सामग्री की घोषणा सक्षम अधिकारी द्वारा कर दी जाती है तो सामग्री को अन्य कार्यालय या अन्य विभाग को उपयोग हेतु अधिसूचना जारी की जानी चाहिए ओर जहां आवशयकता हो स्टॉक हस्तांतरित कर दिया जाना चाहिए, यह कार्यवाही प्रकाशन की तिथि से 6 माह मे पूर्ण हो जानी चाहिए ।

कार्यालय की नमूना लेखापरीक्षा मे पाया गया कि- स्टाक पंजिका वर्ष /माह 10/2018 मे स्टाक अवशेष के रूप मे स्टाक रु 5,86,024.00 की सामग्री का प्रकरण लंबे समय से पड़ा है ,खंड स्तर पर समायोजन हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गयी है, यह धनराशि/सामग्री किन कारणो से अवशेष है। इस संबंध मे इंगित करने पर विभाग ने अपने उत्तर मे बताया कि- स्टॉक सामग्री निर्माण कार्य से संबन्धित है समायोजन की कार्यवाही प्रगति पर है, उत्तर लेखापरीक्षा को मान्य नहीं है क्योकि सामग्री का क्रय उसी समय किया जाना चाहिए जब सामग्री की उपयोग होने की सूचना स्वीकृत आगणन मे प्रावधानित हो, यदि सामग्री अवशेष है तो इसका अर्थ यह है कि- सामग्री का क्रय बिना आवश्यकता के किया गया है।

अत: रु 5,86,024.00 लाख की अवशेष सामग्री का प्रकरण उच्च अधिकारियों के सज्ञान मे लाया जाता है

STAN

प्रस्तर -1 : रु 14,51,544.00 जमा एवं रु 36,03,574.10 भुगतान के अंतर असमायोजित रहने का प्रकरण।

वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड 6 के नियम 741 के अनुसार माह की समाप्ति पर यथाशीघ्र खंड के लेन-देन का कोषागार के साथ मासिक मिलान एव भिन्नताओ का समायोजन किया जाना चाहिए । कार्यालय की लेखापरीक्षा मे पाया गया कि - फार्म 51 के भाग प्रथम के अनुसार धनराशि रु 14,51,544.00 (विवरण संलग्न) को कोषागार द्वारा जमा के रूप मे सत्यापित नहीं किया गया है कार्यालय द्वारा जमा होना दर्शाया गया है इस राशि का कोषागार से सत्यापन/समाधान अभी तक नहीं किया गया है एवं भाग दो के अनुसार रु 36,03,574.10 के चेक खंड द्वारा निर्गत नहीं किए गए परंतु खंड की सी टी आर (Reconciliation sheet) मे आहरित दर्शाये गए है । यह अंतर वर्ष 1973 से 2000 के मध्य का है इस संबंध मे लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग ने अपने उत्तर मे बताया कि- फार्म -51 तैयार करने के पश्चात उक्त अवशेष प्रदर्शित हो रहे है जिसके समायोजन हेतु कोषागार से पत्राचार/मिलान की कार्यवाही की जा रही है मिलान के उपरांत लेखापरीक्षा को अवगत कराया जाएगा ।

उत्तर लेखा परीक्षा को मान्य नहीं है क्योकि यह प्रकरण कोषागार मे जमा राशियो से संबन्धित है समाधान यथाशीघ्र किया जाना चाहिए ताकि यह स्पष्ट हो सके कि राशि यदि कोषागार मे जमा नहीं हुई है तो इसके क्या कारण है एव जो चेक खंड द्वारा जारी नहीं किए गए उनका भुगतान होने के क्या कारण है इस संबंध मे यथा संभव उचित कार्यवाही की जा सके ।

अत: रु 14,51,544.00 जमा एव रु 36,03,574.10 भुगतान के अंतर को असमायोजित रहने का प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है ।

प्रस्तर-2 **रु 25,41,214.35 राशि असमायोजित रहना ।**

वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड 6 के अनुसार उक्त लेखे का समाधान के संदर्भ मे 653- (a) When a transaction has to be cleared by book transfer the transfer should be effected by debiting or crediting it to the remittance of other head concerned in the cash or stock accounts if it appears therein, or by an entry in the transfer entry book. See also paragraph 748 in respect of cash obtained from treasuries on cheques . (b) When a transaction on account of supplies made or services rendered, etc. has to be settled in cash, i.e., by cheque/bank draft, the monetary settlement should be effected by debiting the amount due, to the suspense head " Cash Settlement Suspense Account" under – "T—Deposits and Advances – Part IV— Suspense-- Suspense Account", pending clearance on receipt of cheque/bank draft from the division concerned. The detailed procedure to be followed in this regard is giving in Appendix XIII. NOTE—(1) Such percentage cheques on account of supervision and establishment and tools and plant as may be leviable under the rules, should also be included by a transfer entry in the amount transferred. See also paragraph 608. NOTE--(2) The cost of workshop jobs need not be adjustment monthly, vide paragraph 607. NOTE—(3) Since all inter-divisional transactions, irrespective of the fact whether the divisions fall with in the same Circle of Account or in different Accounts Circle, are requi8red to be settled in cash, vide paragraph 651-A, the minor head "Cash Settlement Suspense Account" has been sub-divided as under— (i) "Transactions between division rendering account to the same Accounts-General" and (ii) "Transaction between divisions in different Accounts Circle".

(c) If the amount of inter-divisional transactions for a month relating to a division is less than Rs. 10, the following should be. Done :

(i) If the transactions require settlement with local divisions, the remittance may be made in cash through a special messenger. The receiving division should issue a receipt in from no. 3 and see that the amount is accounted for correctly in the cash book. The receipts would form the voucher of the paying division.

(ii) Payments at outstation may be remitted by money order and the money order commission may be charged to ' office contingencies'. The money order receipt granted by the post office and the payee's acknowledgement would be treated as vouchers by the paying division.

खंड के अभिलेखो मे पाया गया कि रु 25,41,214.35 राशि का cash settlement suspense account का समाधान / निस्तारण नहीं किया गया है लेखा परीक्षा द्वारा इंगित करने पर विभाग ने अपने उत्तर मे बताया कि -इस राशि का समाधान शासन स्तर से ही किया जाना है अत: आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है ।

<u>भाग-III</u>

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
48/2004-05	1,	1,	-
89/2005-06	1,	1,2,	
20/2007-08	-	1,2	
68/2010-11	1,	2,	
31/2013-14	-	01	
75/2015-16	1,2,	-	
85/2016-17	-	1,2,3	
योग			

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
			अनुपालन आख्या बाद मे प्रेसित की जाएगी।	

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

"शून्य"

भाग-V

<u>आभार</u>

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु अधिशासी अभियंता सिचाई खंड, काशीपुर तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

   (i) शून्य

2. **सतत् अनियमितताएः**

   (i) शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(1)	श्री विजेन्द्र कुमार	अधिशासी अभियंता
(2)	श्री अरुण कुमार नेगी	अधिशासी अभियंता

4. **विगत संप्रेक्षा से अब तक निम्नलिखित खण्डीय लेखाधिकारी खण्ड से संबंद्ध रहे।**

(1)	श्री सुनील कुमार तँवर	खण्डीय लेखाधिकारी

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति अधिशासी अभियंता सिचाई खंड, काशीपुर, को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार आर्थिक क्षेत्र-2 ,को प्रेषित की जाए ।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

आर्थिक क्षेत्र - 2